न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 287/2017/223 आर टी ए

गीता पुत्री उमा जाति सुथार निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट/प्रतिवादिया सं. 1

बनाम

1. रूकमा पुत्री उमा जाति सुथार निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0 सं. 57/15 अनवानी रूकमा बनाम गीता आदि

उपस्थित :–

श्री रमेश कुमार वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–17.07.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कि वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 के नाम चक 20 एनडब्ल्यूडी मे कुल 11.385 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि संयुक्त खाता मे दर्ज होने के कारण आए दिन वादिया व प्रतिवादिया सं. 1 के मध्य सींव बट आदि को लेकर विवाद रहता है। इसलिए उक्त भूमि को वादिया अच्छी माडी के हिसाब से खाता विभाजन करवाने चाहती है। जिसमे अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। जिसका जवाब वादिया रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 30.04.2015 को अपीलांट/प्रतिवादिया

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय की विवादित भूमि का एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए गीता बनाम रूकमा आदि प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 सं. 1 ने दिनांक 03.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कानूनन एक समान पक्षकारान के मध्य व एक ही विवादित विषय वस्तु के संबंध मे दो दावे नही चल सकते इसलिये रूकमा बनाम गीता व गीता बनाम रूकमा के दावो को इकजाई किया जाना अति आवश्यक है। पत्रावली मे तारीख पेशी 16.05.2017 उक्त प्रार्थना पत्र की बहस के लिए निश्चित थी यानि रूकमा बनाम गीता व गीता बनाम रूकमा दोनो दावो मे तारीख पेशी दिनांक 16.05.17 दोनो वाद पत्रो को कन्सोलिडेशन किये जाने के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु मुकर्रर थी लेकिन अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली एवं गीता बनाम रूकमा के वादपत्र की पत्रावली को दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 मे कैम्प धन्नासर मे प्रस्तुत की गई। कैम्प धन्नासर मे अपीलांट व रेस्पो0 अथव अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नही हुए और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किऐ एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे निर्णय पारित किया जाकर वाद रेस्पो0 सं. 1/वादिया प्राथमिक डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउंटर क्लेम एवं दस्तावेज का तथा पत्रावली की पूर्व कार्यवारियों के फर्द अहकाम का अवलोकन करने मे भारी कानूनी भूल की है। पत्रावली पूर्व मे दिनांक 15.06.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 मे कैम्प धन्नासर मे पेश हुई थी। पक्षकारान को उक्त राजस्व लोक

अदालत अभियान मे आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर पत्रावली के निस्तारण हेतु नोटिस जारी किये गये किन्तु पक्षकारान द्वारा उपस्थित नही होकर राजीनामा प्रस्तुत नही करने की सूरत मे पत्रावली मे आगामी पेशी 04.07.2016 न्यायालय हाजा मे पूर्वानुसार कार्यवाही हेतु नियत की गई। इसी प्रकार दिनांक 26.05.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प धन्नासर मे अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली पेश हुई जिसके लिए अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस नही दिया गया और ना ही कोई भी पक्षकार अथवा पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित नही हुए और ना ही कोई राजीनामा पेश किया गया, ऐसी स्थिति मे पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी पूर्व आदेशानुसार मुकरर्र की जानी थी, जैसा कि गीता बनाम रूकमा की पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी 13.09.17 मुकर्रर की गई है। विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 की माता मुस्मात उमादेवी बेवा हरीराम के नाम की भूमि थी। अपीलांट एवं रेस्पो0 के कोई भाई नही था। यानि उमादेवी के कोई पुत्र नही था केवल दो पुत्रियां अपीलांट एवं रेस्पो0 ही थी। इसलिये उमादेवी ने विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 15.01.1982 को अपीलांट व रेस्पो0 के नाम से 22 बीघा 10बिस्वा भूमि करवाई थी। उक्त वसीयत मे विवादित भूमि मे से 22.10 बीघा दक्षिण तरफ का हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 रूकमा को तथा 22.10 बीघा उत्तरी तरफ का हिस्सा अपीलांट गीता को प्राप्त हुआ और उक्त वसीयत के अनुसार ही अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 घरूबंटवारा अर्सा दराज से किया हुआ है।

4. रेस्पो0 सं. 1 द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रकरण सं0 259/1996 रूकमा बनाम गीता जो सन् 1990 मे पेश किया गया था, मे रेस्पो0 सं. 1 ने विवादित भूमि का घरूबंटवारा होना अंकित किया है तथा घरूबंटवारा मे अपने हक व हिस्सा मे आए विशिष्ट किला नम्बर भी अंकित किये है। जिससे विवादित भूमि का घरूबंटवारा अर्सा दराज पूर्व किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाना बखूबी साबित है। अधिवक्ता अपीलांटा ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.17 राजस्व लोक अदालत मे अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे पारित की गई है। राजस्व लोक अदालत के अभियान माह जुलाई 2017 के अन्त मे समाप्त होने के पश्चात राजस्व लोक अदालत अभियानो मे रखी गई पत्रावलियों मे आगामी कार्यवाही हेतु तारीख पेशी निश्चित की जाने पर अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 03.08.2017 को अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी बाबत पता करने पर अपीलांट के अधिवक्ता को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को डिक्री किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि हेतु घोषणा एवं खाता विभाजन बाबत दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमे प्रतिवादिया सं. 1/अपीलांटा उपस्थित होकर जबावदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वादिया रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विवादित भूमि के खाता विभाजन हेतु दावा मे प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश दिया गया है जो सही है। प्राथमिक डिक्री की पालना मे मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त एवं अच्छी मंदी के हिसाब से आने उपरांत समस्त स्थिति साफ हो

Web Copy - Not Official

जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे दावा प्राथमिक डिक्री किया गया ना की अन्तिम डिक्री किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अन्तिम निर्णय होना अभी शेष है। अपीलांटा ने बिना किसी आधार के अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है तथा अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने राजस्व लोक अदालत कैम्प मे विभाजन का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया है। जबकि राजस्व लोक अदालत मे केवल सहमति/राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आज्ञापक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान एवं पक्षकारान के अभिभाषकगण की अनुपस्थिति मे बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना सुने दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

Web Copy - Not Official

दिनांक 26.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 08.08.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official